COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES (×3)

173

15/-

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष

R 1706-I/2006

1. श्रीमती कालीबाई पति मोहम्मद खां मेवाती
   आयु करीब 45 साल, धन्धा - कृषि
   निवासी - गौशाला रोड़, जावरा जिला रतलाम (म. प्र.)

2. मोहम्मद खां पिता हमीद खां मेवाती
   आयु करीब 50 वर्ष, धन्धा - कृषि
   निवासी - गौशाला रोड़, जावरा जिला रतलाम (म. प्र.)

प्रार्थी/अभिभाषक श्री एम.एन.कुरैशी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13-9-06 अधीक्षक आ. कार्यालय उज्जैन संभाग

...प्रार्थीगण

बनाम

युसुफ पिता हमीद खां मेवाती
निवासी- कुम्हारी तहसील जावरा जिला रतलाम (म. प्र.)

...रिस्पान्डेन्ट

<u>रेवेन्यु निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959</u>

<u>विरूद्ध आदेश श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, सम्भाग उज्जैन</u>

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है :-

01. यह है कि, रेस्पान्डेन्ट द्वारा एक प्रथम अपील प्रार्थी और उसके ससुर मोहम्मद हमीद पिता छमीया खां निवासी जावरा के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा के समक्ष दिनांक 16.01.04 को पेश की गई थी जो न्यायालय तेहसीलदार जावरा द्वारा पारीत आदेश दिनांक 07.10.02 के विरूद्ध थी।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1706-एक/2006 — जिला रतलाम

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-4-18	उभयपक्ष अनुपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदकपक्ष पेशी दिनांक 19-3-2009 के बाद से लगातार अनुपस्थित है । न्यायहित में आवेदक की उपस्थिति के लिये प्रकरण में आज दिनांक 20-4-2018 तक इंतजार किया गया, परन्तु उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः आवेदक को प्रकरण के निराकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	